न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारीः श्याम सिंह शेखावत आर.ए.एस
अपील संख्याः 930/2018
निर्णय दिनांकः

पांचूराम पुत्र दयाला जाति कुमावत निवासीः ढाणी नागान जोबनेर, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।

..... **अपीलार्थी**

बनाम

1. छोटूलाल पुत्र दयाला
2. नानूराम पुत्र दयाला
3. श्रीनारायण पुत्र दयाला
4. भंवरलाल पुत्र मांगीलाल
5. जयनारायण पुत्र मांगीलाल
   समस्त जाति कुमावत निवासीः ढाणी नागान जोबनेर, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।
6. नाथूलाल पुत्र दयाला जाति कुमावत निवासीः ढाणी नागान जोबनेर, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।
7. श्रीमती मंजू देवी पत्नि बंशीलाल जाति कुमावत निवासीः गुढा बेरसल, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।
8. तहसीलदार फुलेरा, मु0 सांभरलेक, जिला जयपुर।

.....**रेस्पोडेन्ट्स**

अपील विरूद्व अंतिम निर्णय डिक्री दिनांक 08.09.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक, जिला जयपुर वाद पत्र संख्या 113/2016 उनवान छोटूलाल व अन्य बनाम नाथूलाल व अन्य अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

:–निर्णय–:

दिनांक 06/10/2021

1. अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक, जिला जयपुर के वाद पत्र संख्या 113/2016 बउनवानी छोटूलाल व अन्य बनाम नाथूलाल व अन्य में पारित अंतिम निर्णय डिक्री दिनांक 08.09.2018 के विरूद्व अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की मुश्तर्का खातेदारी व कब्जे काश्त व अधिकार की आराजी खसरा नंबर 429/3 रकबा 35 बीघा जिसमे 25 बीघा 19 बिस्वा बंजड 1 व 9 बीघा 1 बिस्वा बारानी 1 वाके ग्राम ढाणी नागान में स्थित है जो वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 जमा कराते है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात में वादीगण संख्या 1 व 2 व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का 1/2 हिस्सा, वादीगण संख्या 4 व 5 का 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 3 का 1/4

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

हिस्सा है और मौके पर अविभाजित भूमि है जिसको वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 काबिज काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी अविभाजित भूमि में से कुल 1/16 भूमि प्रतिवादी संख्या 3 को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 15.06.2008 को विक्रय कर दी है जिसके आधार पर अविभाजित भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 शीघ्र अति शीघ्र नामान्तकरण खुलाने चाह रहा है व जिस स्थान पर सडक के किनारे अच्छी भूमि देखकर कब्जा करने की चेष्टा में है। अभी कुछ दिन पूर्व प्रतिवादी संख्या 3 प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा विक्रय की गई भूमि को काश्त कराने की नियत से आई और वादीगण को कहा कि अच्छी में से अच्छी जमीन पर कब्जा करके काश्त करेगे और वादीगण को बेदखल करेगे जबकि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का उपरोक्त वर्णित आराजी पर अपने अपने हिस्से अनुसार प्रत्येक इंच पर कब्जा है और बिना विभाजन कराये प्रतिवादी संख्या 3 खरीदशुदा भमि पर काबिज होने की अधिकारी नहीं है। यदि अविभाजित भूमि में से प्रतिवादी संख्या 3 ने जो भूमि खरीद की है उसका नामान्तकरण विक्रय पत्र दिनांक 15.06.2008 के आधार पर खुलवा लिया तो वादीगण को नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा तथा बिना वजह कब्जे व काश्त को लेकर विवाद व लडाई झगडा होगा इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 व 3 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक है कि वे विक्रय की गई आराजी का दिनांक 15.06.2008 के विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण न खुलावे, न ही वादीगण को बेदखल करे, न कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करे तथा प्रतिवादी संख्या 1 को शेष उसके हिस्से में बची हुई आराजी का बिना विभाजन विक्रय व हस्तान्तरण नहीं करे न ही प्रतिवादी संख्या 3 ही हस्तान्तरित करे। वादी को अपने खातेदारी अधिकारों की रक्षार्थ यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी ने वाद के अन्य बिन्दुओं के साथ वाद कारण अंकित करते हुये यह अनुतोष चाहा है कि वादी वाद विरूद्व प्रतिवादी डिक्री फरमाया जाकर उपरोक्त वर्णित आराजी खसरा नंबर 429/3 रकबा 35 बीघा वाके ग्राम ढाणी नागान जोबनेर का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के सिद्धान्त अनुसार तकासमा किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 व 3 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादीगण को उनके कब्जे की भूमि में से बेदखल नहीं करे, न कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करे तथा प्रतिवादी संख्या 1 शेष अपने हिस्से में से प्रतिवादी संख्या 3 विक्रय के आधार पर बिना विभाजन कराये भूमि विक्रय व किसी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं करे। तत्पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वकील वादी व प्रतिवादी की बहस सुनकर बाद बहस मनन दिनांक 21.12.2009 को प्राथमिक निर्णय डिक्री पारित कर तहसीलदार फुलेरा को विवादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार तकासमा कर नक्शे कुरैजात प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया। तत्पश्चात् तहसीलदार फुलेरा द्वारा कुरैजात प्रस्तुत करने पर राष्ट्रीय लोक अदालत में दिनांक 08.09.2018 को अंतिम निर्णय डिक्री पारित कर अंतिम निर्णय डिक्री अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने के आदेश पारित किये। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर तलबी रेस्पोडेन्ट्स जारी की गई। अभिभाषक पक्षकारान् की बहस सुनी गई। दौराने बहस अभिभाषक अपीलार्थी ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया एवं ना ही साक्ष्य सबूत पेश करने का ही अवसर प्रदान किया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष वादग्रस्त आराजीयात से संबंधित एक

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

अन्य वाद संख्या 131/2015 पांचूराम व अन्य बनाम भंवरलाल व अन्य बाबत घोषणा, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा विचाराधीन है, को दृष्टिगत रखते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित नहीं किया गया है। लोक अदालत में राजीनामा के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जाता है। पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा नहीं हुआ है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इन समस्त बिन्दुओं पर ध्यान न देकर अपीलाधीन निर्णय गलत पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.09.2018 खारिज फरमाया जावें। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अभिभाषक अपीलान्ट के कथनों का खंडन करते हुये निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रारंभिक निर्णय डिक्री को अपील के माध्यम से चुनौती नहीं दी है जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट प्रारंभिक निर्णय डिक्री से संतुष्ट है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट की प्रॉपर तामील हुई है एवं साक्ष्य सबूत करने का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नक्शे कुरैजात पर अपीलान्ट अधिवक्ता सहमति प्रदान की गई है जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय डिक्री पारित की गई है। अतः अपील अपीलान्ट गलत तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जावे।

4. अभिभाषक पक्षकारान् की बहस पर मनन किया गया। अपील मीमों एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचाराधीन प्रकरण में अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित वाद में प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री के सन्दर्भ में भी आपत्तियां दर्ज कराई है किन्तु अपीलार्थी की ओर से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री के विरूद्व कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है। न्यायालय हाजा के समक्ष मात्र अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 08.09.2018 के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गई है जिसके सन्दर्भ में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री के विरूद्व राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी किन्तु उक्त अपील अदम हाजिरी अहम पैरवी में खारिज हो जाने के पश्चात् उसको पुर्नस्थापित नहीं करवाया गया फलस्वरूप अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री यथावत रहा किन्तु पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी में प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री के विरूद्व अपील होने पर अधिनस्थ न्यायालय के मूल वाद की पत्रावली न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी में प्रेषित की गई थी एवम् अपील अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज होने के पश्चात् मूल वाद की पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय में पुनः प्राप्त हुई जिसमें अन्तिम निर्णय की सुनवाई हेतु अपीलार्थीगण को सूचना नहीं दी गई। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 08.09.2018 के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि वाद के प्रतिवादी संख्या 1 नाथूलाल के अभिभाषक श्री योगेश कुमार शर्मा अन्तिम निर्णय की सुनवाई हेतु उपस्थित रहे है किन्तु वाद में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कोई भी उपस्थित नहीं था, ना ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को कोई सूचना ही दी गई जिससे स्पष्ट रूप से यह प्रतीत होता है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री अपीलान्ट्स की अनुपस्थिति में पारित की गई है जो न्यायिक प्रक्रिया के विपरीत होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री विधि अनुसार पारित किया जाना नहीं माना जा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

सकता है। फलस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री खारिज किये जाना विधिसंगत प्रतीत होता है।

5. अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर, अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक, जिला जयपुर द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 08.09.2018 खारिज किये जाते है। पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वाद के सभी पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, नियमानुसार कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त कर, प्रकरण का अंतिम निस्तारण करें। उभयपक्षकारान् अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 08/11/2021 को उपस्थित होवे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 06/10/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर